HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए दहेज उत्पीडन के मामले में 02 महिला सहित 04 अभियुक्तों को 02 वर्ष का कारावास व 02-02 हजार रुपये (कुल 8,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 20.03.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा दहेज उत्पीड़न के मामले में 02 महिला सहित 04 अभियुक्तों को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 25.11.2011 को अभियुक्त सोनू पुत्र ओमपाल निवासी अनवरपुर थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ द्वारा अपने भाई नानक, भाभी रजनी व माता सुरजो के साथ मिलकर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी गीता की हत्या करने के सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 515/2011 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 19.02.2012 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 20.03.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा धारा 304बी भादवि में दोषमुक्त किया गया है एवं धारा 498ए भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में 02 वर्ष का कारावास व 02-02 हजार रुपये (कुल 8,000/- रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री गौरव नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रकाश कुमार एवं पैरोकार है0का0 539 देवेन्द्र व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 214 रवि कुमार का विशेष योगदान रहा।